आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

रक्षा सम्पदा संगठन
Defence Estates Organisation

छावनी परिषद् अजमेर / CANTONMENT BOARD, AJMER

पलटन बाज़ार, अजमेर, राजस्थान - 305001 / PALTAN BAZAR, AJMER, RAJASTHAN - 305001

दूरभाष/Phone:0145-2420592 ई-मेल/E-Mail: ceoajme-stats@nic.in वेबसाइट/Website:https://ajmer.cantt.gov.in/

पत्रांक: I/56/CA-AJ/2022-23/157 दिनांक: 21 September, 2022

सार्वजनिक सूचना

छावनी परिषद्, अजमेर द्वारा सलाटर रोड पर स्थित छावनी निधि सम्पत्ति (कविराज चन्द्रवरदाई स्थल), जो कि सर्वे नम्बर 20/151, क्लास सी लैण्ड, क्षेत्रफल 357.00 वर्ग मीटर (जी. एल.आर. के अनुसार) पर स्थित है एवं मैन रोड़ पर स्थित छावनी निधि की दुकान उक्त दोनों सम्पत्ति को तीन वर्षो के लिए किराये पर देने, जिसका प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मासिक किराये में बढोतरी की शर्त के साथ नीलामी जावेगी। जो भी व्यक्ति उक्त छावनी निधि सम्पत्ति को छावनी अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत निहित विभिन्न व्यवसायों के लिये लेना चाहे वह दिनांक 28.09.2022 को 12:00 बजे कार्यालय छावनी परिषद, अजमेर छावनी में आकर बोली लगा सकता है। बोली लगाने से पूर्व प्रत्येक बोली लगाने वाले व्यक्ति को निविदा शुल्क राशि रूपये 1000/– (एक हजार रूपये मात्र) ऑनलाईन ई–छावनी पोर्टल के माध्यम से जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें उक्त बोली में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

नीलामी की शर्ते निम्नलिखित है :–

01. बोली को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य अधिशाषी अधिकारी, छावनी परिषद, अजमेर का होगा। बोली को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का विवरण देने हेतु छावनी परिषद, अजमेर बाध्य नहीं होगा।

02. बोलीदाता को रूपये 1000/– (एक हजार रूपये मात्र) ई–छावनी पोर्टल पर जमा कराना अनिवार्य होगा, जो कि नीलामी के बाद अस्वीकृत बोलीदाता को लौटा दिये जायेगे। एवं स्वीकृत बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि रूपये 1000/– पुनः वापस नहीं लौटायी जावेगी।

03. जिस बोलीदाता पर छावनी परिषद की कोई राशि बतौर बकाया टैक्स या अन्यथा कोई देनदारी बाकी होगी ऐसे व्यक्ति को बोली में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

04. सफल बोलीकर्ता को तीन माह की मासिक किराया राशि के समान राशि को बतौर सुरक्षा राशि ई–छावनी पोर्टल पर दिये गये समय में जमा करानी होगी, जिसे अनुबन्ध समय के पश्चात् यदि छावनी निधि सम्पत्ति को नुकसान नहीं हुआ है की जांच कर बिना ब्याज के वापिस लौटा दिया जायेगा। किराया समय पर जमा नही करने की स्थिति में सुरक्षा राशि का जब्त कर कार्यालय द्वारा वसूली जायेगी। कार्यालय द्वारा मासिक किराये में प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत मासिक किराये में बढोतरी की जायेगी।

05. छावनी परिषद, अजमेर का उक्त सम्पत्ति पर सदैव स्वामित्व रहेगा एवं प्रतिनिधि द्वारा प्रवेश एवं जांच की जा सकेगी।

06. स्वीकृत बोलीकर्ता को कार्यालय में इकरारनामा हेतु रूपये 500/– मात्र का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर जमा कराना होगा।

07. सफल बोलीकर्ता हो हर माह की 10 तारीख तक किराया ई–छावनी पोर्टल के माध्यम से जमा कराना होगा।

08. स्वीकृत बोलीकर्ता को यह अनुमति नहीं होगी कि उक्त रक्षा भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को किराये या अन्य रूप से उपयोग हेतु देवे।

09. किसी भी विवाद की स्थिति में मुख्य अधिशाषी अधिकारी/छावनी परिषद, अजमेर का निर्णय अंतिम होगा।

10. स्वीकृत बोलीकर्ता को व्यवसाय करने हेतु छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 277 के अन्तर्गत ट्रेड लाईसेन्स ई–छावनी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करना होगा।

11. स्वीकृत बोलीदाता को बिजली, पानी, इत्यादि के उपभोग के बिलों का भुगतान स्वयं को वहन करना होगा तथा छावनी परिषद कार्यालय, अजमेर द्वारा निर्धारित करों का भुगतान भी यथा समय करना होगा।

12. तीन वर्षो की अवधि पूर्ण होने पर स्वीकृत बोलीकर्ता को सम्पत्ति का खाली कब्जा यथावत स्थिति में छावनी परिषद, अजमेर को सोपना होगा, ऐसा न करने की स्थिति में नुकसान की भरपाई आपकी धरोहर राशि में से काट ली जायेगी एवं स्वीकृत बोलीकर्ता के विरूद्व विविध कानूनी प्रावधानों के तहत् की जायेगी।

13. उक्त छावनी निधि सम्पत्ति की न्यूनतम बोली निम्न प्रकार है:–

(अ) मैन रोड़ मिलिट्री स्कूल गेट के पास स्थित छावनी निधि दुकान रूपये 5000/– रखी गई है।

(ब) सलाटर रोड पर स्थित छावनी निधि सम्पत्ति (कविराज चन्द्रवरदाई स्थल) रूपये 6500/– रखी गई है।

बोली उक्त न्यूनतम बोली से प्रारम्भ की जायेगी।

14. यह कि छावनी परिषद् कार्यालय, अजमेर को उक्त इकरारनामे की अवधि के बीच उक्त छावनी निधि सम्पत्ति की आवश्यकता होने पर कार्यालय द्वारा एक माह का नोटिस देकर स्वीकृत बोलीकर्ता से सम्पत्ति खाली करवाई जा सकती है। स्वीकृत बोलीकर्ता को उक्त नोटिस के पालना करना अनिवार्य होगा।

15. यदि किसी प्रकार का विवाद होने पर छावनी परिषद का निर्णय सर्वमान्य होगा। न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का मुकदमा स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। न्यायिक क्षेत्र अजमेर होगा।

मुख्य अधिशाषी अधिकारी
छावनी परिषद, अजमेर
(उमेश पारीक, भा.र.सं.से.)

<u>प्रतिलिपिः</u>

01. छावनी परिषद सूचना पट्ट।
02. छावनी परिषद सूचना पट्ट चिकित्सालय के पास, अजमेर।
03. छावनी परिषद सूचना पट्ट मकान संख्या 46 के पास।
04. राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, अजमेर।
05. स्टेशन मुख्यालय, अजमेर।